कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री बलबीर सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाठोड जिला सीकर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतसीसर जिला चूरू किया गया था जिसके विरूद्ध बलबीर सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4116/2019 बलबीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 4116/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री बलबीर सिंह को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पारिवारिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि लालास,/घाटवा,/नगवाडा, कुचामन, जिला नागौर/सेठ सिन्धीराम राउमावि गोठडा, नवलगढ जिला झुन्झूनूं अथवा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल में प्रधानाचार्य समकक्ष के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अपील अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी को निकटतम चूरू जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती बलबीर सिंह द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बंधित सूचित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/बलबीर सिंह/4116/2019 **दिनांक:** 21/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झूनूं/चूरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झूनूं/चूरू।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री बलबीर सिंह, प्रधानाचार्य, राउमावि जैतसीसर जिला चूरू।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)